र.33 4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

APP
Crll

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत कलेक्टर

केशरी वगै० मुकाम बांदीकुई

मुकदमा टी.आई. बनाम राजेश वगै०

नं० 217 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/08/22	प्रार्थीगण द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रा० पत्र अ० नि० जरिये वकील श्री अरुण वर्मा के इस आशय से पेश किया है कि ग्राम कल्ही का बास श्यालावास खुर्द तह० बांदीकुई जिला दौसा स्थित भूमि खाता सं. नया 179 पुरानी 134 ख.नं. 1374/613, 1376/734, 731, 732, 733, 747 कुल किता 6 कुल रकबा 1.11 हे०ऐ० स्थित है उपरोक्त वर्णित भूमि अविभाजित सम्पत्ति रही है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार हिस्सा दर्ज है भूमि मुतदाविया का आज तक विधिवत तकसीम नहीं हुआ है। अप्रार्थी नं. 2 शराब पीने का आदि है तथा शराब पीने के लिये रुपयों की आवश्यकता होनेपर अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को दीगर लोगों को बेचान कर चुका है। चूंकि संयुक्त परिवार की भूमि होने के कारण रिकॉर्ड में संयुक्त रूप से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का नाम इन्द्राज होने से अप्रार्थी भूमि को बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थी सं. 01 लगा० 02 अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर चुके है व कुछ भूमि शेष रही है अब अप्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होने की मंशा रखते है तथा बिना तकसीम हुये प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को अपनी भूमि बताकर जबरन दीगर शख्स को विक्रय करने पर आमादा है जिन्हे पाबंद किया जावे। हमने प्रार्थीगण वकील को सुना प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रथम दृष्ट्या पाईया कि केस	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/10/24	

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। दावा पत्रावली में तलबी अप्रार्थीगण। लगा० 4 हो चुकी है। बावजूद तलबी अप्रार्थीगण उप० नहीं आये। उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 12/11/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

12/11/24
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 2/12/24 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

2/12/24
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 7/1/25 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

07/01/2025
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर प्रार्थीगण वकील बहस सुनी। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूलवाद दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का है। मूलवाद की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान करने का अंदेशा होने की स्थिति में मूलवाद के निस्तारण तक प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24/08/2022 को कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24/08/2022 को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील हमशिता मूलवाद रहे।

7/1/25